भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4365

उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2026 (गुरूवार)

12 चैत्र, 1948 (शक)

प्रश्न

एनईएसआईडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं

4365 **श्री मोहम्मद नदीमुल हक़ः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से लेकर अब तक उत्तर पूर्व विशेष अवंसरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) मूल पूर्णता तिथि से विलंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधित समय-सीमाओं का तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) को वर्ष 2017-18 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम के तौर पर अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2022-23 में इसे दो घटकों अर्थात एनईएसआईडीएस (सड़कें) और एनईएसआईडीएस (सड़कों के अलावा अन्य अवसंरचना या संक्षेप में ओटीआरआई) में बांटा गया। वर्ष 2021 से 28.02.2026 तक एनईएसआईडीएस (सड़कें) के तहत 58 परियोजनाएं और एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत 83 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

एनईएसआईडीएस के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अवधि परियोजनाओं की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति, भूभाग, भूमि की उपलब्धता, अनुवार्य कानूनी मंज़ूरियाँ, रुकावटों को हटाना, वित्तीय समापन आदि जैसे कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें एनईएसआईडीएस भी शामिल है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद और फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू) के अधिकारियों द्वारा इन परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और जाँच की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को तेज़ी से निष्पादित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के निगरानी तंत्र को मज़बूत करने के लिए परियोजना गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों (पीक्यूएम/टीपीटीआई) को भी लगाया गया है।
